

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज०)
क्रमांक:- प्रार्थना पत्र 140/2024/
दिनांक 24/07/24

धारा 136 एल.आर.एक्ट
उपवान- कारूलाल पिता भंवरलाल जाति भील नि० बोलिया बुजुर्ग तहसील सुनेल
बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल जिला झालावाड़

-: आदेश :- दिनांक 24/07/2024

प्रार्थी कारूलाल पिता भंवरलाल जाति भील नि० बोलिया बुजुर्ग तहसील सुनेल के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों/रेकार्ड व पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सुनेल की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बोलिया बुजुर्ग पटवार मण्डल बोलिया बुजुर्ग तहसील सुनेल की जमाबन्दी सम्वत 2073-76 मे खाता संख्या 100 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थी का नाम) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	ग्राम बोलिया बुजुर्ग पटवार मण्डल बोलिया बुजुर्ग तहसील सुनेल	94 100	कालूराम पिता भंवरलाल कालूलाल पिता भंवरलाल	कारूलाल पिता भंवरलाल कारूलाल पिता भंवरलाल

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

दिनांक 24/07/2024

क्रमांक:- राजस्व/2024/ 40

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं:-

1. तहसीलदार सुनेल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

